मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रथम प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 14 मार्च, 2014 को पूर्वान्ह 11.00 बजे विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयन्ती सभागार में सम्पन्न हुयी बैठक की कार्यवृत्त।

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के प्रबन्ध बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 14 मार्च, 2014 को पूर्वान्ह 11.00 बजे विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयन्ती सभागार में सम्पन्न हुयी जिसमें निम्न उपस्थित रहे:-

1. प्रो0 ओंकार सिंह, कुलपति, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर — अध्यक्ष

2. प्रो0 श्याम लाल, आचार्य, गणित विभाग, बी0एच0यू0, वाराणसी (राज्य सरकार द्वारा नामित) — सदस्य

3. प्रो0 नवीन कुमार, विभागाध्यक्ष, मेकेनिकल इंजी0विभाग, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दिल्ली (राज्य सरकार द्वारा नामित) — सदस्य

4. प्रो0 एन0के0शर्मा, प्रोफेसर, इन्डस्ट्रीयल एण्ड मैनेजमेंट इंजी0 विभाग, आई0आई0टी0 कानपुर (राज्य सरकार द्वारा नामित) — सदस्य

5. श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव, अपर निदेशक, कोषागार, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ — सदस्य

6. श्री अशोक कुमार, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ — सदस्य

7. श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, - सदस्य
संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग,
प्रतिनिधि प्रमुख सचिव,
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ

8. डा0 बू0सी0 जैसवाल, - सचिव
कुलसचिव,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

श्री राज कुमार लोहिया, चेयरमैन, लोहिया स्टारलिंगर लि0 डी-3/ए पनकी इन्डस्ट्रीयल इस्टेट कानपुर किन्हीं अपरिहार्य कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा प्रथम बैठक में उपस्थित प्रबन्ध बोर्ड के समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया तथा तत्क्रम में अध्यक्ष सहित सभी सम्मानित सदस्यों को विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठाताओं द्वारा पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। बैठक के प्रारम्भ में विश्वविद्यालय में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों, आधारभूत सुविधाओं तथा मानव संसाधन का प्रेजेन्टेशन कर सदस्यों को विश्वविद्यालय के वर्तमान स्वरुप में अवगत कराया गया।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

प्रथम-01 **<u>मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के गठन के संबंध में सूचना।</u>**

प्रबन्ध बोर्ड मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को पुनर्गठित कर दिनांक 01.12.2013 से मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, गोरखपुर बनाये गये विषयक राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-2998/सोलह-1-2013-3(18)/2012 टीसी-।। दिनांक 28 नवम्बर, 2013 से अवगत हुयी।

प्रथम-02 **<u>मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,गोरखपुर के प्रथम कुलपति पर की गयी नियुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण की सूचना।</u>**

प्रबन्ध बोर्ड मदन मोहन मालवीय प्रौद्यागिकी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की नियुक्ति विषयक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 3780/सोलह-1-2013-3(12)/ 2013 दिनांक 11.12.2013 एवं प्रथम कुलपति के पद पर प्रो0 ओंकार सिंह के कार्यभार ग्रहण की सूचना से अवगत हुयी।

प्रथम-03 **<u>विश्वविद्यालय के बोर्ड आफ मैनेजमेंट के गठन के संबंध में।</u>**

प्रबन्ध बोर्ड उ0प्र0 मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम-2013 की धारा 22-(2) के अन्तर्गत बोर्ड आफ मैनेजमेंट (प्रबन्ध बोर्ड) के गठन हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए नामांकन एवं कुलपति द्वारा प्रबन्ध बोर्ड के गठन हेतु की गयी कार्यवाही से अवगत हुयी तथा अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रथम-04 मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,गोरखपुर के वित्त नियंत्रक व कुलसचिव पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु की गयी अंतरिम व्यवस्था की सूचना।

प्रबन्ध बोर्ड ने विश्वविद्यालय के सुचारु संचालन हेतु अंतरिम व्यवस्था के अन्तर्गत निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 28.12.2013, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 16.01.2014 द्वारा प्राप्त अनुमोदनोपरान्त वित्त नियंत्रक एवं कुलसचिव के कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु कुलपति के स्तर से की गयी कार्यवाही से अवगत अवगत होते हुए कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रथम-05 विश्वविद्यालय के लोगो (LOGO) एवं सामान्य मुद्रा (COMMON SEAL) पर विचार।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रस्तावित लोगो (LOGO) तथा सामान्य मुद्रा (Common Seal) के अवलोकनोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इसके उचित रंग योजना निर्धारण हेतु कुलपति को अधिकृत किया। विश्वविद्यालय की स्टेशनरी, पैड, फ्लैग एवं अन्य अभिलेखों में इसका प्रयोग किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। अनुमोदित लोगो, सामान्य मुद्रा तथा पैड अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।

प्रथम-06 विश्वविद्यालय के संचालन हेतु राज्य सरकार से जारी किए जाने वाली प्रथम परिनियमावली (Statutes) का प्रारुप विश्वविद्यालय स्तर से तैयार कर प्रेषित किए जाने के संबंध में।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के लिए तैयार कर राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु भेजी गयी परिनियमावली (Statutes) से अवगत होते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्रथम परिनियमावली के गठन होने तक प्रबन्ध बोर्ड के स्तर से निर्णीत प्रकरणों से इतर प्रकरणों को अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन न होने की दशा में पूर्ववत इंजीनियरिंग कालेज की नियमावली की व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालय का संचालन कराया जाय।

प्रथम-07 प्रबन्ध बोर्ड की संस्तुति पर प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य के रुप में राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले विश्वविद्यालय के आचार्य श्रेणी से दो सदस्यों तथा विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष मे से दो सदस्यों के नामांकन पर विचार।

उ0प्र0 मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम-2013 में प्राविधानानुसार विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड के गठन हेतु प्राविधान 22-2(ग) के अन्तर्गत आचार्य श्रेणी से दो सदस्यों तथा 22-2(घ) के अन्तर्गत संकायाध्यक्ष मे से दो संकायाध्यक्ष (Dean) को प्रबन्ध बोर्ड की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध बोर्ड का सदस्य नामित किया जाना है। उक्त के तहत प्रबन्ध बोर्ड की संस्तुति पर दो सदस्यों के नामांकन हेतु निम्नवत आचार्यों के नाम का अनुमोदन प्रदान किया गया।

आचार्य श्रेणी मे से दो सदस्य

1. प्रो0 प्रमोद प्रसाद, आचार्य, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण
2. प्रो0 बी0एस0 राय, आचार्य, विद्युतकण एवं संचार अभियंत्रण विभाग

संकायाध्यक्ष (Dean) श्रेणी मे से दो सदस्य

साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रथम परिनियमावली के अनुमोदन होने के उपरान्त प्राविधानानुसार नियुक्त संकायाध्यक्ष (Dean) श्रेणी से नामांकन हेतु प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रथम-08 विश्वविद्यालय की विद्या परिषद के गठन के संबंध में विचार।

प्रबन्ध बोर्ड उ0प्र0 मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम-2013 की धारा 24-(3) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की विद्या परिषद में राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा किए गए नामांकन से अवगत हुयी तथा प्राप्त नामांकन के अनुसार कुलपति द्वारा विद्या परिषद के गठन हेतु की जा रही कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

साथ यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली (Statutes) के गठन होने के उपरान्त अधिष्ठाताओं तथा परीक्षा नियंत्रक के नामांकन की कार्यवाही पृथक से की जाये।

प्रथम-09 प्रबन्ध बोर्ड की संस्तुति पर विश्वविद्यालय की वित्त समिति के सदस्य के रुप में प्रबन्ध बोर्ड द्वारा उसके सदस्यों मे से नाम निर्दिष्ट दो अन्य सदस्यों के नामांकन पर विचार।

प्रबन्ध बोर्ड उ0प्र0 मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम-2013 की धारा 26-1 के अनुसार वित्त समिति के गठन हेतु धारा 26-1(घ) के अन्तर्गत प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों में से नाम - निर्दिष्ट दो अन्य सदस्य, जिनमें से कम से कम एक विश्वविद्यालय का कर्मचारी न हो, के अधीन निम्न सदस्यों को वित्त समिति का सदस्य नामित किया गया:-

1. प्रो0 नवीन कुमार, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दिल्ली
2. प्रो0 एन0के0 शर्मा, आई0आई0टी0 कानपुर

इसके साथ ही कुलपति के स्तर से वित समिति के गठन की अनुमति दी गयी।

प्रथम-10 विश्वविद्यालय की वित्तीय प्रगति एवं वर्ष 2014-15 के अनुमानित आयोजनेत्तर बजट के अनुमोदन के संबंध में विचार।

प्रबन्ध बोर्ड मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रुप में दिनांक 01 दिसम्बर, 2013 से पुनर्गठित हो जाने के फलस्वरुप राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के संचालन हेतु आयोजनेत्तर/आयोजनागत मद में पूर्ववर्ती मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर हेतु अनुदान की स्थिति से अवगत हुयी। प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के लिए आयोजनेत्तर मद में बजट अवमुक्त किए जाने हेतु कुलपति द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 03 जनवरी, 2014 के अवलोनोपरान्त वित्त समिति न होने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के सुचारु संचालन हेतु वर्ष 2014-15 हेतु रु0 2871.06 लाख के आयोजनेत्तर बजट पर अनुमोदन प्रदान किया गया जो अनुलग्नक-2 पर संलग्न है।

प्रथम-11 विश्वविद्यालय के खाते के संबंध में सूचना

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम के प्राविधान के अन्तर्गत मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के लिए पूर्व से स्वीकृत अनुदान/बचतों से विश्वविद्यालय परिसर स्थित भारतीय स्टेट बैंक में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का खाता खोल कर इंजीनियरिंग कालेज के खातों में अवशेष धनराशि को विश्वविद्यालय के खाते में स्थानान्तरित किए जाने एवं वित नियंत्रक के स्तर से खाता संचालित किए जाने विषयक कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रथम-12 विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति के गठन के संबंध में विचार।

प्रबन्ध बोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के परीक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की रुपरेखा तैयार किए जाने एवं परीक्षा संबंधी समस्त कार्यवाही हेतु विश्वविद्यालय द्वारा तैयार कर शासन को प्रेषित परियमावली में प्रस्तावानुसार राज्य सरकार से परिनियमावली प्राप्त होने तक अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित के अनुसार परीक्षा समिति के गठन पर अनुमोदन प्रदान किया गया:-

1.	कुलपति	- अध्यक्ष
2.	प्रतिकुलपति, यदि हों तो	- सदस्य
3.	विश्वविद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षक जिन्हें कुलपति द्वारा दो वर्षों के लिए नामांकित किया जायेगा	- सदस्य
4.	विश्वविद्यालय से बाहर के प्रख्यात शिक्षाविद् जिन्हें कुलपति द्वारा दो वर्षों के लिए नामांकित किया जायेगा	- सदस्य
5.	विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठाता	- सदस्य
6.	परीक्षा नियंत्रक	- सचिव

प्रथम-13 विश्वविद्यालय में पूर्व से अध्ययनरत छात्रों के शैक्षणिक कार्यक्रम के संबंध में विचार।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय में पूर्व से अध्ययनरत छात्रों के शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन का संज्ञान लेते हुए शैक्षणिक गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण हेतु की जा रही कार्यवाहियों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रथम-14 शैक्षिक सत्र 2014-15 से विश्वविद्यालय में वर्तमान में चल रहे पाठ्यक्रमों व अन्य गतिविधियों के सुचारु संचालन हेतु विश्वविद्यालय के नये आर्डिनेन्स को प्रभावी करने के संबंध में विचार एवं अनुमोदन।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित बी0टेक0, एम0टेक0, एम0सी0ए0, एम0बी0ए0 एवं पीएच0डी0 पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 31(2) के अनुसार सत्र 2014-15 से समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए क्रेडिट सिस्टम के आधार पर कुलपति द्वारा तैयार किए आर्डिनेंन्स से अवगत होते हुये इनमें आंशिक लिपिकीय त्रुटि के संशोधनोपरान्त इसे राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किए जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही अधिनियम की धारा 23(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आगामी शैक्षणिक सत्र 2014-15 हेतु समय से समस्त कार्यवाहियों पूर्ण करने के उददेश्य से राज्य सरकार से अनुमोदन की प्रत्याशा में आर्डिनेन्स के क्रियान्वयन पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रथम-15 विश्वविद्यालय के सत्र 2014-15 के नव प्रवेश लेने वाले छात्रों के अन्य विभिन्न मदों के शुल्क (शिक्षण शुल्क को छोड़कर) निर्धारण के संबंध में विचार।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय में सत्र 2014-15 से प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क मे से शिक्षण शुल्क को छोड़ते हुए अन्य विभिन्न मदों के शुल्क को विश्वविद्यालय स्तर से वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरुप पुनः निर्धारित किए जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। अनुमोदित पुनर्निर्धारित शुल्क का विवरण **अनुलग्नक-3** पर संलग्न है।

प्रथम-16 विश्वविद्यालय में टेलेन्ट इन्सेन्टिव स्कीम के संचालन के संबंध में विचार।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय में सत्र 2014-15 से प्रवेश लेने वाले छात्रों में प्रतिभा प्रोत्साहन हेतु टेलेन्ट इन्सेन्टिव स्कीम संचालित किए जाने के उद्देश्य से तैयार की गयी कार्ययोजना का अवलोकन किया गया तथा इस योजना के अन्तर्गत सर्वोच्च अंक प्राप्त करने अथवा अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों पर छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु कार्ययोजना के अनुसार स्कालरशिप/एक मुश्त पुरस्कार दिए जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही प्रबन्ध बोर्ड ने बी0टेक0/एम0टेक0/पीएच0डी0 छात्रों के शोध कार्यों को प्रोत्साहित करने हेतु भविष्य में Best Research Paper Award एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं कार्यशाला में छात्रों के प्रतिभाग को प्रोत्साहित करने हेतु कार्ययोजना तैयार किए जाने का प्रस्ताव आगामी प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की। अनुमोदित कार्ययोजना **अनुलग्नक-3** पर संलग्न है।

प्रथम-17 **विश्वविद्यालय के कार्यालय संचालन एवं अन्य गतिविधियों के लिए राज्य सरकार से परिनियामवली प्राप्त होने तक अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न समितियों के गठन के संबंध में विचार।**

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन, अन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन तथा कुलपति के स्तर से अनुमोदन दिए जाने/निर्णय लिए जाने हेतु उन्हें सुझाव/संस्तुति देने के लिए राज्य सरकार से विश्वविद्यालय परिनियमावली प्राप्त होने तक अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित के अनुसार विभिन्न समितियों के गठन प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया:-

1. प्रशासनिक समिति

1. समस्त अधिष्ठाता (कुलपति द्वारा नामित कोई एक अधिष्ठाता अध्यक्ष होगा)
2. कुलसचिव
3. वित्त नियंत्रक

2. शैक्षणिक समिति

1. समस्त अधिष्ठाता (कुलपति द्वारा नामित कोई एक अधिष्ठाता अध्यक्ष होगा)
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. परीक्षा नियंत्रक
4. कुलसचिव

3. क्रय समिति

विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुरुप विभिन्न विभागों एवं अनुभागों के उपकरणों एवं सामानों इत्यादि की रु0 1.00 लाख से अधिक के क्रय हेतु निम्नलिखित की क्रय समिति के गठन पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

1. वित्त नियंत्रक - संयोजक
2. कुलसचिव
3. संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रभारी/शोध परियोजनाओं के प्रमुख अन्वेषक सहित विभागाध्यक्ष
4. क्रय की प्रकृति के अनुसार कुलपति द्वारा नामित दो शिक्षक

रुपये 1.00 लाख से कम की सामग्री के क्रय हेतु निम्नानुसार विभागीय क्रय समिति प्रस्तावित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रभारी – अध्यक्ष
2. संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा नामित विभाग का संकाय सदस्य
3. शोध परियोजनाओं के अन्वेषक - सिर्फ शोध परियोजनाओं हेतु
4. कुलपति द्वारा नामित वाह्य विभाग के प्रतिनिधि

उक्त के साथ ही विश्वविद्यालय हेतु किए जाने वाले समस्त अनुबन्ध क्रयादेश तथा कार्यादेश वित्त नियंत्रक के स्तर से जारी किए जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रथम-18 <u>विश्वविद्यालय के सुचारु संचालन हेतु डीन्स व अन्य दायित्वों के संबंध में विचार।</u>

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के सुचारु संचालन एवं शैक्षणिक, प्रशासनिक गतिविधियों तथा छात्र-छात्राओं में अनुशासन बनाये रखने हेतु राज्य सरकार से विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली (Statutes) का अनुमोदन प्राप्त होने तक मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में प्रभावी व्यवस्थानुसार निम्नलिखित अधिष्ठाता (Deans) को उनके सम्मुख इंगित दायित्वों की व्यवस्था यथावत रखने तथा पूर्व से विद्यमान समस्त प्रभारियों की व्यवस्था को आवश्यकतानुसार बनाये रखने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

1.	**अधिष्ठाता (शैक्षणिक मामले) Dean (Academics Affairs)**	छात्र-छात्राओं के प्रवेश व पंजीकरण समय-सारिणी एवं कक्षा कक्ष परास्नातक अध्ययन स्नातक अध्ययन परीक्षा राष्ट्रीय कैडेट कोर राष्ट्रीय सेवा योजना विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त शैक्षणिक मामले सुधारात्मक पाठ्यक्रम
2.	**अधिष्ठाता (छात्र मामले) Dean (Students Affairs)**	छात्र अनुशासन छात्र कल्याण छात्र क्लब छात्र अभिभावक संवाद छात्रावास व परिसर में कैन्टीन आदि छात्र सुविधा संबंधी मामले
3.	**अधिष्ठाता (नियोजन) Dean (Planning)**	विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त प्रकार के नियोजन कार्य एवं क्रियान्वयन तथा एल्युमिनी से संबंध
4.	**अधिष्ठाता (शोध, विकास एवं परामर्श) Dean (R&D and Consultancy)**	विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त प्रकार के शोध एवं विकास कार्य परीक्षण/परामर्श औद्योगिकी संवाद
5.	**प्राक्टर (Proctor)**	रैगिंग पर नियंत्रण छात्र-छात्राओं के मध्य उत्पन्न विवाद का निस्तारण विश्वविद्यालय परिसर में छात्र अनुशासन एवं छात्रों द्वारा अनुशासित ढंग से अध्यापन कार्य

प्रथम-19 विश्वविद्यालय कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन के क्रय के संबंध में विचार।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रयोग हेतु लगभग रु0 7.00 लाख (मय एसेसरीज) के व्यय के साथ विश्वविद्यालय की अपनी बचत से धन की उपलब्धता के अनुसार प्रथम एम्बेसडर कार क्रय करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रथम-20 विश्वविद्यालय से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा लखनऊ खण्डपीठ में डायर वादों की पैरवी के संबंध में विचार।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्ड पीठ में निम्नलिखित अधिवक्ताओं को विश्वविद्यालय हेतु आबद्ध किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

1. श्री इन्तेश्वर नाथ सिंह, अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
2. श्रीमती मधुमिता बोस, अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ

प्रथम-21 विश्वविद्यालय में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं एवं निर्मित भवनों की सूचना।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं एवं निर्मित भवनों की स्थिति से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय में संचालित स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों की क्षमता वृद्धि व बड़ी संख्या में नये परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने के दृष्टिगत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरुप विश्वविद्यालय की नितान्त आवश्यकता हेतु उ0प्र0 शासन को वर्तमान पाठ्यक्रमों के स्तरीय तथा सुदृढ संचालन के लिए रु0 2237.41 लाख की धनराशि आयोजनेत्तर तथा रु0 402.00 लाख आयोजनागत मद में उपलब्ध कराने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव (दिनांक 28.02.2014) पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रथम-22 विश्वविद्यालय के विकास हेतु तैयार कार्ययोजना के संबंध में विचार।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के समुचित विकास हेतु वित्तीय आवश्यकतों के दृष्टिगत तैयार कर राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु भेजी गयी पंचवर्षीय कार्ययोजना का अवलोकन किया गया तथा विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा समुचित सुविधाओं के उपलब्ध होने की दशा में शैक्षिक सत्र 2015-16 से चरणवद्ध रुप से वर्षवार निम्नलिखित नये पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत कार्ययोजना के अनुसार आरम्भ किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया:-

Sl. No.	Name of the Department	New Programme	Programme for increase in intake
1	Civil Engineering	B.Tech.(Environmental Engineering)	B.Tech. (Civil Engineering) Ph.D.
2	Mechanical Engineering	M. Tech. (Industrial Management Engineering)	B.Tech. (Mech. Engineering) Ph.D.
3	Electrical Engineering	M. Tech. (Power System)	B.Tech.(Electrical Engineering) Ph.D.
4	Electronics & Communication	M. Tech (Micro – Electronics & VLSI	B.Tech. (Electronics & Comm.)

	Engineering	Design)	Ph.D.
5	Computer Science & Engg	M. Tech (Cyber Security)	B.Tech. (Comp. Sc. & Engineering) Ph.D.
6	Chemical Engineering & Sugar Technology	B.Tech. (Chemical Engineering & Sugar Technology)	
7	Centre of Management Studies	BBA	
8	Architecture	B.Arch. M.Arch., Ph.D.	
9	Applied Physics	M.Sc. Applied Physics-Integrated	Ph.D.
10	Applied Mathematics	M.Sc. Applied Mathematics – Integrated	Ph.D.
11	Applied Chemistry	M.Sc. Applied Chemistry – Integrated	Ph.D.
12	Humanities & Social Science	M.Sc. Journalism & Mass Communication-Integrated	Ph.D.
13	Agriculture Engineering Department	B.Tech. (Agriculture Engineering)	
14	Food Technology Department	B.Tech. (Food Technology)	
15	Bio Technology Department	B.Tech. (Bio Technology)	
16	Pharmacy	B.Pharm.	
17	Hotel Management & Catering Technology	B.H.M.C.T.	
18	Fashion Technology	B.F.T.D.	

प्रथम-23 - <u>विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याताओं को पीरियड आधार के स्थान पर संकलित वेतन देकर पूर्ण कार्यालय अवधि में ग्यारह माह के अनुबंध पर रखे जाने पर विचार।</u>

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा गुणवत्तायुक्त शिक्षक कार्य हेतु विश्वविद्यालय के लिए सृजित शिक्षकों के रिक्त पदो के सापेक्ष रिक्तियाँ रहने तक अतिथि व्याख्याताओं को प्रति पीरियड आधार के स्थान पर उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार शासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हतानुसार उच्चतम सीमा रु0 18000.00, रु0 20000.00 व रु0 22000.00 का संकलित मासिक वेतन भुगतान कर पूर्ण कार्यालय अवधि हेतु ग्यारह माह अथवा रिक्ति उपलब्ध रहने तक के अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर शिक्षण कार्य कराये जाने के प्रस्ताव एवं प्रस्तावित अनुबंध पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही प्रबन्ध बोर्ड द्वारा संकलित वेतन की धनराशि की सीमा अत्यधिक कम होने के दृष्टिगत उच्चतम सीमा को बढाये जाने तथा विजिटिंग प्रोफेसर के नियुक्ति का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जाने की अपेक्षा की गयी।

प्रथम-24 <u>विश्वविद्यालय में राज्य इनोवेशन एवं एन्क्यूवेशन सेंटर स्थापित करने के संबंध में विचार।</u>

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय में "Design, Innovation and Incubation Centre" की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुए राज्य सरकार के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ भेजे गये विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रथम-25 विश्वविद्यालय में बुलाये जाने वाले वाह्य सदस्यों/विशेषज्ञों के मानदेय निर्धारण के संबंध में विचार।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विभिन्न बैटकों तथा विशेषज्ञ व्याख्यान (लगभग 02 घण्टे) के लिए आमंत्रित किए जाने वाले वाह्य सदस्यों के मानदेय की धनराशि रु0 1500.00 प्रति दिवस के स्थान पर पुनर्रक्षित कर रु0 3000.00 प्रति दिवस करने के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इसे प्रथम बैठक से ही प्रभावी करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रथम-26 विश्वविद्यालय के कुलगीत पर विचार।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय हेतु छात्र-छात्राओं में प्रतियोगिता के आधार पर तैयार कराये गये निम्नलिखित कुलगीत पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

महामना की सुयश शोभा, तकनीकि की यह तपस्थली।
योग-स्थली गुरु गोरक्ष की, बुद्ध की निर्वाण स्थली ।।
दृश्य अनुपम् राप्ती का, मिलती गले रोहिन वलय।
ज्ञान मार्गी संत कबिरा की, कृति हुयी मनोहर मधुमय।।
ज्ञान और विज्ञान का, मंदिर मनोरम शुभ्र पावन।
शोध के जिज्ञासु करते, सरस्वती का चरण वंदन।।
मानवता का मंदिर मनोहर, आलोक मय दिव्य सुन्दर।
गूंजता परिसर हमारा, सकल विद्या का शंख स्वर।।
नवीनता की खोज में, संलग्न यह विद्या सदन ।
सुज्ञान के इस कल्पतरु का, करते हैं हम शत-शत नमन।।

प्रथम-27 विश्वविद्यालय के विजन व मिशन के अनुमोदन पर विचार।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर को स्थापना के उददेश्यों की पूर्ति एवं राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समग्र रुप से विकसित किए जाने हेतु निम्नवत विजन एवं मिसन पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

VISION

To facilitate and promote studies, research, technology incubation, product innovation and extension work in Science, Technology and Management Education, and also to achieve excellence in higher technical education.

MISSION

The distinctive mission of the University is:

- to serve society as a center of higher learning, providing long-term societal benefits through transmitting advanced knowledge, discovering new knowledge and functioning as an active working repository of organized knowledge;
- to take leadership role by providing need based programs in engineering and technology, applied sciences, management, humanities, architecture, pharmacy, retail and fashion design, mass-communication, agriculture and other employable courses in emerging areas;
- to promote compassionate care of the highest quality that translates new

knowledge into meaningful improvements in technological outcomes through interdisciplinary collaboration, fiscal responsibility, support of diversity, a focus on quality and a culture of professionalism;

- to establish value creating networks and foster relationship with other leading institutes of higher learning and research, alumni and industries in order to provide significant contribution to national and international development;
- to create an intellectually stimulating Infrastructure and conducive environment for technology research, scholarship, creativity, innovation, entrepreneurship and professional activity for service to community and economy.

प्रथम-28 <u>विश्वविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा सृजित रिक्त शैक्षणिक व प्रशासनिक पदो के चयन हेतु विषय-विशेषज्ञों के पैनल के अनुमोदन पर विचार।</u>

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक व अन्य प्रशासनिक गतिवधियों के सुचारु संचालन हेतु रिक्त निम्न पदों पर नियमानुसार कार्यवाही कर नियुक्ति किए जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुये चयन समिति के लिए आमंत्रित किए जाने वाले विषयवार विषय विशेषज्ञों के प्रस्तावित पैनल पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही प्रबन्ध बोर्ड द्वारा भविष्य में विशेषज्ञों के पैनल को परिमार्जित करते समय एक समान प्रारुप में प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की गयी।

क्रमांक	पद	रिक्तियों की संख्या
1.	प्रोफेसर	14
2.	एसोसियेट प्रोफेसर	22
3.	असिस्टेंट प्रोफेसर	29
4.	कार्यशाला अधीक्षक	01
5.	पुस्तकालयाध्यक्ष	01
6.	चिकित्साधिकारी	02
7.	क्रीडा प्रशिक्षक	01

प्रथम-29 <u>विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने हेतु न्यूनतम अर्हता एवं प्रवेश प्रक्रिया हेतु की जाने वाली कार्यवाही पर विचार।</u>

प्रबन्ध बोर्ड उ0प्र0 मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम-2013 में दी गयी व्यवस्थानुसार धारा 6-सोलह के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मानकों को अवधारित करने एवं चयन पद्धति निर्धारित करने की प्राधिकारिता के दृष्टिगत शैक्षिक सत्र 2014-15 हेतु विश्वविद्यालय स्तर से विभिन्न स्नातक एवं परास्नातक (B.Tech. IInd Year B.Tech., M.B.A., M.C.A., M.Tech. and Ph.D.) पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने के लिए निम्नानुसार न्यूनतम अर्हताओं के साथ प्रवेश परीक्षा व काउंसिलिंग कराकर प्रस्तावित कार्ययोजना के अनुसार प्रवेश कार्यवाही किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। इस हेतु विगत में इंजीनियरिंग कालेज के प्रवेश में प्रभावी आरक्षण व्यवस्था व उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा की जा रही राज्य प्रवेश परीक्षा की आरक्षण व्यवस्था का अनुपालन किये जाने की अपेक्षा की गयी।

(i) B.Tech.: For admission to first year of B.Tech. the candidate should have passed 10 + 2 examination with at least 45% marks (40% in case of candidate belonging to SC/ST category) and also with atleast 50% marks (45% in case of candidate belonging to SC/ST category) in Mathematics, Physics and Chemistry each without grace.

(ii) 2nd year B.Tech.: For admission to second year of B.Tech. under lateral entry:

(a) For Diploma holders: Passed 3 / 4 year Diploma examination from an Institution recognized by U.P. Board of Technical Education in any branch of Engineering/Technology except Agriculture Engineering with at least 60% marks (55% in case of candidates belonging to SC/ST category) without grace.

(b) For B.Sc. graduates: Passed 3 / 4 year B.Sc. Degree from any recognized University of India as defined by UGC with at least 60% marks (55% in case of candidates belonging to SC/ST category) without grace and having passed 10+2 exam with Mathematics as a subject.

(iii) M.B.A.: For admission to first year of M.B.A. the candidate should have passed the recognized Bachelor's Degree of minimum three years duration from any recognized University of India as defined by UGC with at least 55% (50% in case of candidates belonging to SC/ST category) marks in the qualifying examination without grace.

(iv) M.C.A.: For admission to first year of M.C.A. the candidate should have passed the recognized Bachelor's Degree of minimum three years duration from any recognized University of India as defined by UGC with Mathematics at 10+2 level and obtained minimum 55% (50% in case of candidates belonging to SC/ST category) marks in the qualifying examination without grace.

(I) M.Tech.: Candidates who have passed the Bachelor's degree in Engineering/Technology or equivalent, or as prescribed by the University with first division or equivalent are eligible for the admission to M.Tech. Programme. Exact eligibility criteria for specific M.Tech. course shall be as prescribed by the University in admission notification on website.

(ii) Ph.D.: Candidates who possess the Master's Degree with Ist Division in Engineering/ Technology/Science/Management/Humanities or equivalent or as prescribed by the University in the relevant discipline are eligible for the admission to Ph.D. Programme.

विश्वविद्यालय में विदेशी मूल के नागरिकों को परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने पर भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा कुलपति के अनुमोदनोपरान्त प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने हेतु निम्नलिखित के अनुसार University Admission Committee के गठन पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही अनुलग्नक-4 पर संलग्न के अनुसार बजट को अनुमोदित करते हुये प्रवेश परीक्षा संबंधित कार्यों व गोपनीय कार्यों सहित प्रवेश परीक्षा कार्यवाही में लगाये गये शिक्षकों/ कर्मचारियों को मानदेय निर्धारण व व्यय के अनुमोदन हेतु कुलपति को अधिकृत करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

University Admission Committee (UAC):

1. All Deans of the University, out of which one of the Dean shall be nominated by Vice-Chancellor as Chairman of UAC and remaining shall be members
2. One faculty member from SC Category to be nominated by Vice-Chancellor

3. One faculty member from OBC category to be nominated by Vice-Chancellor
4. Registrar – Member
5. Controller of Finance - Member
6. Coordinator for respective admission to be nominated by the Vice-Chancellor- Member

उक्त के अतिरिक्त प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय प्रवेश समिति के अतिरिक्त प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण कर प्रवेश दिये जाने के लिए कुलपति द्वारा कार्य की आवश्यकतानुसार Admission Cell निर्धारित किए जाने के प्रस्ताव पर भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

Admisssion Cell

1. Coordinator for respective admission to be nominated by Vice-Chancellor-Chairman
2. Three/Four teachers to be nominated as Dy. Coordinator by Vice-Chancellor as per requirement – Member
3. Registrar – Member
4. Controller of Finance - Member

प्रथम-30 विश्वविद्यालय में आई0क्यू0ए0सी0 (Internal Quality Assurance Cell) के गठन के प्रस्ताव पर विचार

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की गाइड लाइन में किए गए प्राविधान के अनुसार विश्वविद्यालय में आई0क्यू0ए0सी का कुलपति के स्तर से निम्नानुसार गठन किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

a) Vice- Chancellor - Chairperson
b) Eight Senior Teachers and one senior administrative officials of the University - Member
c) Three External experts on Quality Management/Industry/Local Community – Member
d) Coordinator of IQAC (one senior faculty member of University) - Member Secretary

प्रथम-31 **विश्वविद्यालय के शैक्षणिक व प्रशासनिक पदों पर चयन हेतु चयन समिति के गठन के प्रस्ताव पर विचार।**

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा छात्र हित में गुणवत्तायुक्त शिक्षण कार्य हेतु शिक्षकों व अन्य प्रशासनिक रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियाँ किए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। प्रबन्ध बोर्ड द्वारा राज्य सरकार के स्तर से प्रथम परिनियमावली (Statutes) निर्गत किए जाने तक प्रस्तावित प्रथम परिनियमावली (Statutes) में किए गए प्रावधान के अनुसार शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन कार्यवाही सम्पन्न करने के लिए निम्न चयन समिति के गठन के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया एवं अपेक्षा की गयी चयन कार्यवाही करने से पूर्व परिनियमावली न उपलब्ध होने की दशा में इस चयन समिति के गठन को राज्य सरकार से अनुमोदित करा लिया जाय। साथ ही प्रबन्ध बोर्ड द्वारा पूर्व की भाँति इसी चयन समिति के माध्यम से नियमानुसार कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत शिक्षकों के प्रोन्नति की कार्यवाही किए जाने के प्रस्ताव पर भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

i. The Vice Chancellor shall be the Chairman of the Selection Committee
ii. Three outside subject experts nominated by the Vice Chancellor from a panel approved by Board of Management out of which two should be at least present in the selection committee
iii. One nominee from AICTE, New Delhi
iv. One Professor or Senior group "A" officer each from Other Back ward Category and SC category nominated by the Vice Chancellor from the panel approved by the Board of Management
v. One nominee from the Chancellor
vi. Head of the concerned Department provided that the Head shall not sit in the selection committee when he himself is a candidate for appointment or the post concerned is of same or of a higher rank.

प्रथम-32 **पूर्ववर्ती मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर द्वारा कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत शिक्षकों को पदनाम एवं वेतनमान का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु दिनांक 12 एवं 13 जुलाई, 2012 को सम्पन्न हुयी चयन समिति की संस्तुतियों के संबंध में विचार।**

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा प्रकरण पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत शिक्षकों को पदनाम एवं वेतनमान का लाभ अनुमन्य कराये जाने विषयक विश्वविद्यालय के गठन के पूर्व मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज स्तर से माह जुलाई, 2012 में चयन समिति द्वारा की गयी कतिपय संस्तुतियाँ जो अनुमोदित नहीं हो पायी है, पर वर्तमान में प्रभावी आम चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत इसे स्थगित कर प्रकरण को प्रबन्ध बोर्ड के विचारार्थ आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रथम-33 तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (TEQIP) के सुचारु संचालन हेतु Industry-Institute Interaction Cell के अन्तर्गत पूर्णतया अस्थायी आधार पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की नियुक्ति किए जाने पर विचार।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा भारत सरकार की विश्व बैंक सहायतित योजनान्तर्गत छात्र एवं विश्वविद्यालय हित में गुणवत्तायुक्त शोध एवं विकास कार्यों को बढ़ावा दिये जाने हेतु तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम को सुचारु रुप से संचालित किए जाने तथा छात्र हित में विश्वविद्यालय एवं उद्योगों के मध्य अन्योन्यक्रिया (Industry-Academia Interaction) हेतु TEQIP-II की नियमावली में Industry-Institute-Interaction Cell के प्राविधानानुसार TEQIP-II से परियोजना अवधि के लिए रु0 30000.00 प्रतिमाह के समेकित वेतन पर पूर्णतया अस्थायी आधार पर एक प्रोजेक्ट असिस्टेंट की नियुक्ति किए जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। परन्तु इस हेतु आवश्यक कार्यवाही चुनाव आचार संहित समाप्त होने के पश्चात ही किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रथम-34 मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक पदों के सृजन के प्रस्ताव पर विचार।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय में वर्तमान आवश्यकताओं के दृष्टिगत विश्वविद्यालय कार्यो के सुचारु संचालन हेतु पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त निम्न शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदो के सृजन के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया एवं पदों के सृजन हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी।

क्रमांक	सृजित किए जाने वाले पद	संख्या	ग्रेड पे एवं वेतन बैण्ड
1.	विधि अधिकारी	01	रु0 15600-39100 एजीपी - 5400.00
2.	उप कुलसचिव	02	रु0 15600-39100 एजीपी - 5400.00
3.	सहायक कुलसचिव	04	रु0 9300-34800 एजीपी - 4800.00
4.	सचिव/स्टाफ आफिसर कुलपति	01	रु0 9300-34800 एजीपी - 4800.00
5.	प्रोफेसर	11	रु0 37400-67000, एजीपी - 10000.00
6.	एसोसियेट प्रोफेसर	08	रु0 37400-67000, एजीपी - 9000.00
	असिस्टेंट प्रोफेसर	29	रु0 15600-39000 एजीपी - 7000.00

साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पंचवर्षीय रोडमैप में सुविधायें उपलब्ध होने की दशा में सत्र 2015-16 से भावी कार्ययोजना के अनुसार प्रस्तावित विद्यमान पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता वृद्धि एवं नये पाठ्यक्रमों प्रारम्भ करने पर उनके सुचारु संचालन हेतु राज्य सरकार के स्तर से निम्न पद सृजित किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

क्रमांक	सृजित किए जाने वाले पद	संख्या	ग्रेड पे एवं वेतन बैण्ड
1.	प्रोफेसर	21	रु0 37400-67000, एजीपी - 10000.00
2.	एसोसियेट प्रोफेसर	47	रु0 37400-67000, एजीपी - 9000.00
3.	असिस्टेंट प्रोफेसर	171	रु0 15600-39000 एजीपी - 7000.00
4.	टेक्निकल असिस्टेंट (SLT)	12	रु0 9300-34800 एजीपी - 4200.00
5.	लैबोरेटरी इंस्ट्रक्टर (Mech Gr A/JLT)	15	रु0 5200-20200 एजीपी - 2800.00
6.	कम्प्यूटर आपरेटर कम आफिस असिस्टेंट	15	रु0 5200-20200 एजीपी - 2000.00

प्रथम-35 मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के कुलपति को भवन किराया मुक्त व सुसज्जित आवास दिए जाने के प्रस्ताव पर विचार।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त कुलपति आवास में कैम्प कार्यालय बनवाये जाने, इसे संचालित करने तथा कुलपति को भवन किराया मुक्त व सुसज्जित आवास उपलब्ध कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। वर्तमान में पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग कालेज के प्राचार्य हेतु निर्दिष्ट आवास को कुलपति आवास के रुप में पूर्ण सुसज्जित किए जाने तथा कैम्प कार्यालय बनाने तथा इसके संचालन के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त रु0 17.00 लाख के व्यय के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रथम-36 विश्वविद्यालय कार्य से संबंधित आयोजित विभिन्न बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित किए जाने सदस्यों/विशेषज्ञों के ठहरने व अतिथि सत्कार आदि प्रबन्ध हेतु व्यय की सीमा निर्धारण पर विचार।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के स्तरीय उच्चीकरण के फलस्वरुप विश्वविद्यालय के विभिन्न उच्च स्तरीय बैठकों यथा प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद, चयन समिति व अन्य समितियों में देश के विभिन्न आई0आई0टी0 व अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों/संस्थानों के आचार्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष तथा प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं वित्त के आगमन के दृष्टिगत प्रस्ताव पर सम्यक विचार किया गया तथा उन्हें होटल में अवस्थान कराये जाने एवं अतिथि सत्कार आदि पर आवश्यकतानुसार (On actual basis) व्यय किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रथम-37 विश्वविद्यालय में संचालित मान्यवर कांशीराम इंजीनियरिंग कालेज आफ इनफारमेशन टेक्नालाजी, आजमगढ के संबंध में सूचना।

प्रबन्ध बोर्ड राज्य सरकार द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के तहत स्थापित मान्यवर कांशीराम इंजीनियरिंग कालेज आफ इनफारमेशन टेक्नालाजी, आजमगढ़ का संचालन तत्कालीन मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर द्वारा कराये जाने एवं उक्त कालेज को **उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ का घटक महाविद्यालय** बनाये जाने विषयक प्रस्तुत विभिन्न अभिलेखों से अवगत हुयी। प्रबन्ध बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि चूँकि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठित कर विश्वविद्यालय बनाया गया है, अतएव मान्यवर कांशीराम इंजीनियरिंग कालेज आफ इनफारमेशन टेक्नालाजी, आजमगढ का संचालन प्रदेश के किसी अन्य वित्त पोषित संस्थान से करवाया जाय ताकि भविष्य में उक्त के दृष्टिगत कोई विषम परिस्थिति न उत्पन्न हो।

प्रथम-38 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मद

प्रथम 38.01 रिट याचिका संख्या 58099/2013 डा0 अर्जुन दूबे व 49 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के समादर में शासन के पत्र दिनांक 10 मार्च, 2014 के अनुपालन में शिक्षकों के एरियर भुगतान हेतु कृत कार्यवाही पर विचार।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा कुलपति के स्तर से की गयी कार्यवाही जो अनुलग्नक-5 पर संलग्न है, से अवगत होते हुए कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रथम 38.02 विश्वविद्यालय के वेब-पोर्टल के संबंध में विचार।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरुप वेब पोर्टल तैयार कराने के प्रस्ताव एवं उस पर अनुमानित लागत लगभग रु0 14.00 लाख (TEQIP-II) मद से, का नियमानुसार व्यय किए जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रथम 38.03 **तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (द्वितीय चरण) (TEQIP-II) के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के उपयोग एवं उसके कियान्वयन के संबंध में विचार।**

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्व बैंक सहायतित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (TEQIP-II) के अन्तर्गत पी0आई0पी0 के अनुसार कार्यवाही किए जाने का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्यवाही के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रथम 38.04 **विश्वविद्यालय हेतु (Space Planning) किए जाने के लिए कुलपति स्तर से University Space Advisory Committee का गठन कर कार्यवाही किए जाने पर विचार।**

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा कुलपति के स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित University Space Advisory Committee गठित किए जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

1. समस्त अधिष्ठाता - सदस्य (कुलपति द्वारा नामित एक अधिष्ठाता समिति के अध्यक्ष होंगे)
2. वित्त नियंत्रक - सदस्य
3. कुलसचिव - सदस्य
4. विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग - संयोजक

प्रथम 38.05 **विश्वविद्यालय में कम्युनिटी कालेज प्रारम्भ किए जाने पर विचार।**

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन की दशा में विश्वविद्यालय में कम्युनिटी कालेज प्रारम्भ किए जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रथम 38.06 **विश्वविद्यालय में Environment Advisory Committee के गठन का प्रस्ताव।**

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा कुलपति के स्तर से विश्वविद्यालय में पर्यावरण के संरक्षण तथा इसके संवर्धन हेतु निम्नानुसार Environment Advisory Committee गठन के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

1. समस्त अधिष्ठाता - सदस्य (कुलपति द्वारा नामित एक अधिष्ठाता समिति के अध्यक्ष होंगे)
2. कुलसचिव - सदस्य
3. विश्वविद्यालय में उपलब्ध पर्यावरण/संबंधित विषय के शिक्षक - संयोजक

प्रथम 38.07 **डा0 प्रवीण पाण्डेय, एसोसियेट प्रोफेसर, यांत्रिक अभियंत्रण विभाग के दिनॉक 01.04.2013 से लगातार अब तक अनुपस्थित रहने के फलस्वरुप डा0 पाण्डेय के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में विचार।**

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा डा0 प्रवीण पाण्डेय, एसोसियेट प्रोफेसर, यांत्रिक अभियंत्रण विभाग के दिनांक 01.04.2013 से अब तक लगातार अनुपस्थित रहने तथा उनके संबंध में पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग कालेज द्वारा कृत कार्यवाही का गभीरता से संज्ञान लिया गया। साथ ही डा0 पाण्डेय को पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग कालेज द्वारा समुचित अवसर दिए जाने के बाद भी कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में समाचार पत्रों में इस हेतु प्रकाशित करायी गयी सूचना, इनकी सेवा समाप्ति हेतु इंजीनियरिंग कालेज द्वारा प्रेषित संस्तुति एवं डा0 पाण्डेय की पत्नी श्रीमती मोनिका

पाण्डेय द्वारा उनके उपर लगाये गम्भीर आरोपों तथा सक्षम स्तर से बिना अवकाश स्वीकृति के उनके द्वारा विदेश में नौकरी करने की स्थिति को गम्भीरता से लेते हुये यह निर्णय लिया कि डा0 प्रवीण पाण्डेय, एसोसियेट प्रोफेसर, यांत्रिक अभियंत्रण विभाग की सेवा समाप्ति हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यवाही प्रारम्भ कर ली जाय तथा वर्तमान में परिनियमावली उपलब्ध न होने के कारण सम्पूर्ण प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया जाय।

प्रथम 38.08 **श्री लाल बहादुर प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर (एस0जी0) विद्युत अभियंत्रण विभाग के विश्वविद्यालय की सेवा से दिनांक 08.04.2013 से लगातार अब तक अनुपस्थित रहने के फलस्वरुप उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में विचार।**

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा श्री लाल बहादुर प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर (एस0जी0) विद्युत अभियंत्रण विभाग के अध्ययन अवकाश विस्तारित न किए जाने विषयक शासन के पत्र दिनांक 5.1.2013 का संज्ञान लिया गया। साथ ही श्री लाल बहादुर प्रसाद के बार-बार अवकाश पर प्रस्थान कर जाने तथा अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहने की स्थिति को अत्यन्त गम्भीरता से लिया गया। प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की अत्यन्त कमी है, अतएव छात्र हित में शिक्षण कार्य करवाये जाने के दृष्टिगत किसी भी दशा में श्री प्रसाद को अब आगे किसी भी प्रकार का कोई अवकाश न दिया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि श्री लाल बहादर प्रसाद को एक अवसर देते हुये यह सूचित कर दिया जाय कि वे विश्वविद्यालय में छात्र हित में पूर्णकालिक रुप से शिक्षण-प्रशिक्षण कार्य में योगदान देना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में श्री प्रसाद के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव सक्षम स्तर को प्रस्तुत किया जाये जिसके लिए वे स्वंय उत्तरदायी होंगे।

बैठक अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापनोपरान्त समाप्त हुयी।

15/3/14
(डा0 यू0सी0 जैसवाल)
सचिव
कुलसचिव, म0मो0मा0प्रौ0वि0, गोरखपुर

15/3/14
(प्रो0 ओंकार सिंह)
अध्यक्ष
कुलपति, म0मो0मा0प्रौ0वि0, गोरखपुर